I/173608/2023

प्रेषक,

अर्पण कुमार राजू,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास विभाग–2 देहरादून, दिनांकः 07 दिसम्बर, 2023।

विषयः उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत 571 पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–750/उडा–02/2014 पार्ट–1, दिनांकः 04.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आवास विभाग के शासनादेश संख्या–2104/V-2/2017–53(आ0)/2014, दिनांकः 15.12.2017 के द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के राज्य स्तरीय मुख्यालय एवं 12 जनपदों हेतु पृथक–पृथक जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों हेतु सृजित 571 अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ए–2–2574/दस–98–24(8)92, दिनांकः 02.12.1998 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शासनादेश संख्या–2104/V-2/2017–53(आ0)/2014, दिनांकः 15.12.2017 के द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के राज्य स्तरीय मुख्यालय एवं जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों हेतु सृजित 571 अस्थायी पदों की निरन्तरता दिनांकः 29.02.2024 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

E/E / AB / A.O.

भवदीय,

Signed by Arpan Kumar Raju
Date: 07-12-2023 12:11:07

(अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव

J.C.A

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।

क्रमांक सं0 1681
दि0 11.12.2023

173608/2023

3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5– वित्त अनुभाग–1/वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
7– सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।